

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-20/2024/ 108 दिनांक:- 18/3/24

आदेश

निम्नलिखित कार्मिका को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत कार्मिका का नाम के सम्मुख तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
1	लवलेश शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	क.रा.बी. ओषधालय न. 2 जोधपुर	06.09.1971	12.10.1992	01.04.2024

उक्त कार्मिका का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा। कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-20/2024/ 108 दिनांक:- 18/3/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क.रा.बी.ओषधालय न. 2 जोधपुर
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6012638

E-File Letter 2024

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :16-03-2024 02:01:56